न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला दूदू

मु0न0:– 68/2023
पीठासीन अधिकारी:–राकेश कुमार II (आर0ए0एस0)
निर्णय दिनांक:– 03.05.2024

रामप्रसाद पुत्र रामचंद्र सैनी, जाति माली, निवासी–ग्राम जी–60, नारायण निवास, आचार्य मार्ग, आदर्श नगर, जयपुर, जिला जयपुर राज.।

प्रार्थी

बनाम

1. दुर्गा देवी पत्नी मदनलाल
2. पुरूषोत्तम पुत्र मदनलाल
3. विनय कुमार पुत्र मदन समस्त जाति ब्राह्मण, निवासी–ग्राम निमेडा, तह. फागी जिला जयपुर
4. राजपति देवी पत्नी हेमराज, जाति बलाई, निवासी–रेनवाल, तह. माधोराजपुरा, जिला जयपुर, राज.।
5. आनन्द सिंह पुत्र दशरथ सिंह
6. राजदुलारी पुत्री दशरथ सिंह
7. राजेन्द्र सिंह पुत्र दशरथ सिंह
8. लक्ष्मी कंवर पुत्री दशरथ सिंह समस्त जाति राजपूत, निवासी–निमेडा, तह. फागी, जिला जयपुर, राज.।
9. कुलदीप सिंह पुत्र भीम सिंह
10. किशन सिंह पुत्र प्रताप सिंह नाबालिक जरिये संरक्षक माता विष्णु कंवर पत्नी प्रताप सिंह
11. गजराज सिंह पुत्र भीम सिंह
12. ज्योति पुत्री प्रताप सिंह
13. पृथ्वी सिंह पुत्र भीमसिंह
14. मोहन कंवर पत्नी स्व. भीम सिंह
15. युवराज सिंह पुत्र प्रताप सिंह नाबालिक जरिये संरक्षक माता विष्णु कंवर पत्नी स्व. प्रताप सिंह
16. वन्दना पुत्री प्रताप सिंह नाबालिक जरिये संरक्षक माता विष्णु कंवर पत्नी स्व. प्रताप सिंह
17. विष्णु कंवर पत्नी स्व. प्रताप सिंह समस्त जाति राजपूत निवासी–ग्राम निमेडा, तह. फागी, जिला जयपुर, राज.।
18. उपतहसीलदार निमेडा, तह. फागी जिला जयपुर राज.।
19. तहसीलदार फागी, तहसील फागी, जिला जयपुर राज.।

अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता:– श्री सुरेन्द्र कुमार टेलर वकील प्रार्थी

प्रार्थना पत्र पत्थरगढी किये जाने बाबत्

निर्णय दिनांक:–03.05.2024

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि प्रार्थी की आराजी खाता संख्या 697 के खसरा नम्बर 1441/1 रकबा 2.2887 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम निमेडा तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू में स्थित है। जिसका प्रार्थी रिकार्डेड खातेदार काश्तकार एवं काबिज काश्त है। उक्त आराजी से प्रार्थीगण का

लगातार.....2

उपखण्ड अधिकारी
फागी,जिला–दूदू

कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण आपस में पड़ोसी खातेदार है एवं आराजी खसरा नंबर 1440/1, 1441/2, 1400/1, 1401/3, 1438, 1439 की भूमि वाके ग्राम नीमेड़ा , तहसील फागी, जिला जयपुर हाल जिला दूदू मे स्थित है जिसके अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 17 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है लेकिन प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर अप्रार्थीगण आये दिन हर वर्ष मेर–कोर को दबाते चले आ रहे है आये दिन मेर–कोर की सीमाओं को लेकर लड़ाई–झगड़ा करते रहते है एवं बिना अधिकारों के ही लाठी के बल पर प्रार्थी की खातेदारी भूमि में जबरन अतिक्रमण कर तारबंदी एवं छड़ियां वगै0 डालकर जबरन जे.बी.सी. मशीन से डोल डालने पर आमादा है एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 17 प्रार्थी को ऐलानियां धमकियां देते हैं कि हम तुम्हे झूठे मुकदमों में फंसा देंगे। इन लोगों की धमकियों से एवं रोजाना के लड़ाई–झगड़ों से तंग होकर प्रार्थी ने अपनी खातेदारी भूमि का विधिवत सीमाज्ञान दिनांक 29.06.2023 को करवा लिया है उसके बावजूद भी अप्रार्थीगण आये दिन प्रार्थी की भूमि में अवैधानिक रूप से अतिक्रमण कर कब्जा करना चाहते हैं जिसका अप्रार्थीगण को कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है इसलिए प्रार्थी की खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान के मुताबिक पत्थरगढ़ी करवाई जाकर पुलिस इमदाद दिलवाया जाना कानूनन न्यायोचित है, ताकि प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों की सुरक्षा हो सके। उक्त आराजीयात बाबत् प्रार्थी ने सीमाज्ञान करवाने बाबत् प्रार्थना–पत्र उपतहसीलदार नीमेड़ा के समक्ष पेश किया। उपतहसीलदार नीमेडा के आदेश क्रमांक/भू–अभिलेख/23/465 दिनांक 19.06.2023 की पालना में उक्त आराजी का सीमाज्ञान करवाया जाकर मौका रिपोर्ट दिनांक 29.06.2023 प्रस्तुत की गई जिस पर मौके पर समक्ष प्रार्थी एवं गांव के लोग व पडोसी खातेदारों ने सोच–समझकर अपने–अपने हस्ताक्षर किये एवं अप्रार्थीगण को सूचना देने के बाद भी जानबूझकर मौके पर उपस्थित नहीं हुए एवं हस्ताक्षर करने से मना किया। उक्त सीमाज्ञान दिनांक 29.06.2023 के मुताबिक पत्थरगढ़ी करवाई जाकर प्रार्थी को पुलिस इमदाद दिलवाई जाना आवश्यक है अगर उक्त सीमाज्ञान के मुताबिक पत्थरगढ़ी नहीं करवाई जाती है तो अप्रार्थीगण जबरन प्रार्थी की भूमि में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर जायेंगे जिससे आपस में लड़ाई–झगड़ा होगा एवं व्यर्थ में मुकदमें बाजी बढ़ेगी इसलिए न्यायहित में प्रार्थी को पुलिस इमदाद दी जाकर उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी पत्थरगढ़ी करवाया जाना न्यायसंगत है। उक्त पत्थरगढ़ी में नियमानुसार होने वाला खर्चा प्रार्थी वहन करने को तत्पर है। उक्त विवादित आराजी एवं पक्षकारान मान्य न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से प्रार्थना पत्र की सुनवाई का श्रीमान को क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलवी जारी की जाये।

लगातार.....3

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला–दूदू

अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 19 बाद तामिल के बावजूद भी हाजिर अदालत नहीं आये इसलिये अप्रार्थी संख्या 01, 02 व 04 लगायत 17 के विरूद्ध दिनांक 18.03.2024 व अप्रार्थी सं0 03 के विरूद्व दिनांक 29.04.2024 तथा अप्रार्थी संख्या 18 व 19 के विरूद्ध दिनांक 03.05.2024 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

विद्वान अधिवक्ता बहस एकतरफा सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अवलोकन करने पर पाया की प्रार्थी ने हस्तगत प्रकरण पत्थरगढी का पेश किया है। उक्त विवादग्रस्त आराजी वाके ग्राम नीमेड़ा में स्थित है। मुताबिक जमाबंदी 2075–2078 वाके ग्राम नीमेड़ा के खसरा नंबर 1441 / 1 रकबा 2.2887 हैक्टेयर का प्रार्थी रिकार्डेड खातेदार है। पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार पूर्व मे दिनांक 29. 06.2023 राजस्व विभाग की टीम द्वारा उक्त विवादग्रस्त आराजी का सीमाज्ञान किया जा चुका है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य अनावश्यक विवाद नहीं बढ़े एवं पडोसी काश्तकारों के मध्य शान्ति बनाऐं रखने हेतु सभी पक्षकारान की मौजूदगी में मुताबिक सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 29.06.2023 के अनुसार पत्थरगढ़ी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 1441 / 1 रकबा 2.2887 हैक्टेयर वाके ग्राम नीमेड़ा तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू में स्थित आराजीयात का पडौसी खातेदारान की मौजूदगी में मुताबिक सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 29.06.2023 के अनुसार पत्थरगढी किये जाने के आदेश तहसीलदार फागी को दिये जाते है। पत्थरगढ़ी सीमा चिह्न को कायम करने बाबत की जावें। यदि पक्षकारान के मध्य कब्जा सम्बन्धी विवाद हो तो सक्षम न्यायालय में चाराजोही करें।

निर्णय आज दिनांक 03.05.2024 को सरे इजलास सुना गया।

3/5/24

(राकेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला दूदू

उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला दूदू